

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]
प्रकरण संख्या: 243/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/347)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. संतोष रानी पत्नी मदनलाल जाति नायक निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. काला सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति मजहबी निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 2. दिलबाग सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति मजहबी निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 3. धर्म सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति मजहबी निवासी 38 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 29.07.2025

उपस्थित: श्री इन्द्राज सेजु अधिवक्ता वादी

—निर्णय—

दिनांक: 21.11.2025

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुरब्बा नम्बर 2, 8, 21, 28, 44 की कुल 4.439 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी काश्त सहूलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू बंटवारानामा में वादी को चक 31 एफ के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 22 ता 24 प्रत्येक सालम-सालम भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारानामा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपनी-अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादीगण उक्त भूमि पर काफी वर्षों से निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओं का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्ज्वल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 15 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुरब्बा नम्बर 2, 8, 21, 28, 44 की कुल 4.439 हैक्टेयर भूमि में से वादी के नाम दर्ज भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।
- पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू. अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुरब्बा नम्बर 2, 8, 21, 28, 44 की कुल 4.439 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी संतोष रानी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। मौके पर बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुरब्बा नम्बर 2, 8, 21, 28, 44 की कुल 4.439 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
संतोष रानी पत्नी मदनलाल जाति नायक निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (0.759 हैक्टेयर)	31 एफ	8	22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			23	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			24	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80

ष खाते एवं रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर म्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}

(civil procedure code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

संतोष रानी बनाम काला सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 259/2025

निर्णय दिनांक:-21.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई खबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 29/29 के मुरब्बा नम्बर 2, 8, 21, 28, 44 की कुल 4.439 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
संतोष रानी पत्नी मदनलाल जाति नायक निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (0.759 हैक्टेयर)	31 एफ	8	22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			23	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
			24	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे।

आज दिनांक 21.11.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	50	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	54	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)
दिनांक 21.11.2025

क्रमांक: रीडर/2025/861

प्रतिलिपि:- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



{श्योराम (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)